पंचवर्षीय/वार्षिक जिला योजना निर्माण हेतु जनवरी, 2012 में ग्राम /वार्ड सभाओं का आयोजन

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

दूरभाष नं. 0141–2227847, ई–मेल: rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांकःएफ.4 () पराविं/आप्र/वा.जि.यो. /2011–12/3 जयपुर, दिनांकः 3/1/12

जिला कलक्टर,
जिला –समस्त।

विषयः– 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) की अवधि के दौरान कराये जाने वाले विकास कार्यो की प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं जिला वार्षिक योजना 2012–13 में कराये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव लिये जाने के संबंध में जनवरी, 2012 में वार्ड/ग्राम सभाएं आयोजित कराने बाबत्।

योजना आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य की पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं का निर्माण जिला योजनाओं को समाविष्ट करते हुए किया जा रहा है। जिला योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र के साथ–साथ शहरी क्षेत्र की योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। इसी के अनुसरण में राज्य में 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना का निर्माण विकेन्द्रीकृत आयोजना के तहत एक विस्तृत कार्य योजना के तहत करवाया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के संबंध में योजना आयोग से नवीन दिशा–निर्देश प्राप्त होना प्रतीक्षित है। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये जिला योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जावेगें।

राज्य आयोजना बोर्ड से प्राप्त सुझाव अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्राम पंचायत स्तरीय योजनाओं के साथ–साथ पंचायत समिति स्तरीय योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जाना आवश्यक है तथा राज्य आयोजना बोर्ड द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में तैयार किये गये दृष्टिकोण पत्र में दिये गये सुझाव एवं दिशा–निर्देशों अनुरूप 12वीं पंचवर्षीय योजना एवं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आने वाली वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया जावेगा।

विकेन्द्रीकृत आयोजना के तहत निर्मित होने वाली जिला योजनाओं में, स्थानीय आवश्यकताओं को स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं आम जनता के सहयोग से चिन्हित करते हुए विकास कार्यो के प्रस्ताव सम्मिलित किये जाते है। इस हेतु जिलों में माह जनवरी, 2012 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभायें तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड सभाओं के आयोजन की कार्यवाही की जावें ताकि इन ग्राम/वार्ड सभाओं के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यो के प्रस्ताव लेकर कार्यो की प्राथमिकताओं का निर्धारण के संबंध में कार्यवाही निष्पादित की जा सकें। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः–

1. जिला योजनाओं के लिये चिन्हित किये गये आधारभूत सेक्टर से संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए निर्धारित प्रपत्रों में विकास कार्यो के प्रस्तावों का संकलन पंचवर्षीय योजना 2012–17 एवं वार्षिक योजना 2012–13 के लिये किया जावेगा। विभिन्न सेक्टर के लिये निर्धारित प्रपत्र संलग्न किये जा रहे है।
2. ग्राम पंचायत/नगरनिकायों को पंचवर्षीय अवधि 2012–17 के दौरान केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं में उपलब्ध होने वाली राशि का आंकलन, किसी अभिष्ट ग्राम पंचायत/नगरनिकाय को विगत पंचवर्षीय अवधि में प्राप्त हुई राशि में 25 प्रतिशत वृद्वि मानते हुए किया जावेगा।
3. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार ग्राम पंचायत/नगरनिकाय के लिये आंकलित की गई राशि के तीन गुणा तक की राशि के विकास कार्यों के प्रस्ताव लिये जावेगें। ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा प्रस्तावित कार्यो की प्राथमिकता अनुसार सूची ग्राम सभा/वार्ड सभा के अनुमोदनानुसार ही तैयार की जावेगी।
4. ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं महिला वर्ग के हितार्थ विकास कार्यो के प्रस्ताव कम से कम इन वर्गो की जनसंख्या के अनुपात में आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जावेगें। तद्नानुसार योजना तैयार करते समय इन वर्गो के लिए पृथक–पृथक उप योजनाए तैयार की जावेगी।

5. ग्राम सभा/वार्ड सभा के दौरान उपस्थिति सेक्टरोल अधिकारियों द्वारा विभागीय नार्म्स एवं विभिन्न सेक्टरों के लिये निर्धारित लक्ष्यों से अवगत कराते हुए, इनके अनुरूप विकास कार्य प्रस्तावित करने हेतु ग्राम सभा/वार्ड सभा को जागरूक किया जावेगा। प्रस्तावित विकास कार्यों की अनुमानित लागत राशि भी सेक्टरोल अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा/वार्ड सभा को अवगत कराई जावेगी।
6. ग्राम सभा/वार्ड सभा के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों को ग्राम सेवक/प्रधानाध्यापक व अन्य निर्देशित व्यक्तियों के सहयोग से निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ति करते हुए पंचायत समिति को अग्रेषित किया जावेगा।
7. केन्द्र/राज्य की ऐसी योजनाओं में जिनमें ग्राम पंचायतों के साथ–साथ जिला परिषद/पंचायत समिति स्तरीय कार्यों को कराये जाने के लिए राशि उपलब्ध करवायी जा रही हैं तथा विभिन्न सेक्टरों में जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर वृहत एवं दीर्घकालीन अवधि के कार्य करवाये जाने हैं उनसे संबंधित प्रस्ताव योजनाओं में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप क्रमशः जिला परिषद/पंचायत समिति की साधारण सभा आयोजित कर अनुमोदित कराने/प्राथमिकताओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावें तथा साधारण सभाओं में विकास कार्यो की अनुमानित लागत राशि भी सैक्ट्रोलर अधिकारियों द्वारा अवगत करवाई जावेंगी।
8. ग्राम सभा/वार्ड सभा के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जिले की वार्षिक योजना का निर्माण करते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश, योजना आयोग से प्राप्त होने के उपरांत जारी किये जावेगें।

जैसा कि आप विदित हैं कि जिला योजनाओं के निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग को नोड़ल विभाग बनाया हुआ हैं। चूंकि जिला योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओ के साथ–साथ शहरी क्षेत्र की योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक हैं। अतः इस संबंध में अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु जिला परिषदों के स्तर से ग्राम सभाओं के आयोजना कार्यक्रम निर्धारित कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्रत्येक पंचायत समिति/ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये जावेगें एवं शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड सभाएं आयोजित कराने का कार्यक्रम जिला स्तर पर पदस्थापित जिला परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/नोड़ल अधिकारी स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना से विचार–विमर्श कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्रत्येक शहरी नगरनिकाय को उपलब्ध करवाये जावेगें ताकि ग्राम सभाओं/वार्ड सभाओं के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आगामी जिला पंचवर्षीय योजना (2012–17) एवं वार्षिक जिला योजना 2012–13 का निर्माण निर्धारित समय पर संपादित किया जा सकें।

उक्त निर्देशों की शत–प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अति. मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार ग्राम सभा/वार्ड सभाओं के माध्यम से विकास कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित कर वांछित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य आयोजना अधिकारी, आयोजना प्रकोष्ठ–समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार जिला विकास योजनाओं के निर्माण हेतु सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित कर वांछित कार्यवाहीं किया जाना सुनिश्चित करें।

शासन उप सचिव
जिला आयोजना

D:\drive d data\New D-Planning\Raju lal Gupta\letter.doc

संशोधित

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

......................ग्राम / पंचायत के विकास की

पंचवर्षीय (2012–2017) योजना

ग्राम पंचायत..................

प्रपत्र–"क"

1. ग्राम पंचायत/ग्राम संबंधी सामान्य सूचना

1.1

- ग्रामों की संख्या ....
- जनसंख्या (2011 की जनगणनानुसार) ....
- परिवारों की संख्या ....
- अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत ....
- अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत ....
- व्यवसायिक कार्यों में कुल कार्यशील जनसंख्या.................................
  - i. मुख्य कार्यशील (Main Workers)....................
    - a. कृषक (Cultivators).................................
    - b. कृषि श्रमिक (Agriculture Labours) ....
    - c. गृह उद्योग कामगार (House Hold Industrial Workers).............
    - d. अन्य कामगार (Other Workers)...................
  - II. सीमान्त कामगार (Marginal Workers) ....

1.2 **मानव विकास सूचकांक** – मानव विकास को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। यह विकास के विभिन्न आयाम जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के सूचकांक का समावेश है।

- 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत ....

	कुल बच्चें	स्कूल जाने वालों की संख्या	नामांकन प्रतिशत
i. लड़के	....	....	....
ii. लड़कियां	....	....	....

- सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी पश्चात् स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों की संख्या
  - i. लड़के ....
  - ii. लड़कियां ....

- व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या

	लड़के	लड़कियाँ
i. इन्जीनियरिंग कालेज	....	....
ii. आई. टी. आई	....	....
iii. पोलोटेक्निक	....	....
iv. मेडिकल कॉलेज	....	....
v. एम.बी.ए.	....	....
vi. अन्य	....	....

- ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने में होशियार है और जिन्होने सीनियर सैकण्डरी प्रथम श्रेणी से उतीर्ण की है लेकिन गरीबी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रहें विवरण

क0 सं0	छात्र / छात्रा का नाम	पिता का नाम	जाति	उतीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	अभिभावक की वार्षिक आय
1	2	3	4	5	6	7

- साक्षरता प्रतिशत ग्राम / ग्राम पंचायत......................

1.3 स्वास्थ्य और स्वच्छता

- 0–1 आयु वर्ग के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत ....
- गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व / प्रसवोत्तर सेवायें दिये जाने का प्रतिशत..................
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार प्राप्त कर रहे बच्चों का प्रतिशत
  i. 0–3 आयु वर्ग प्रतिशत ....
  ii. 3–6 आयु वर्ग प्रतिशत ....
- पूरक पोषाहार प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाऐं / किशोरी बालिकाओं की संख्या
  i गर्भवती महिलाऐं ....
  ii. किशोरी बालिकाऐं ....
- अशोधित जन्म दर (CBR) ....
- शिशु मृत्यु दर (IMR) ....
- अशोधित मृत्यु दर (CDR) ....
- कितने प्रतिशत घरों में शौचालय उपलब्ध है ....
- कितने प्रतिशत घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है ....

1.4 गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों का प्रतिशत

- आवासविहीन परिवारों का प्रतिशत
- कच्चे घरों में रह रहे परिवारो का प्रतिशत

1.5 परिवारों का प्रतिशत जिनकी आजीविका निर्भर हैः–

- कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र ....
- कृषि श्रमिक...........
- अन्य सेवायें (Service).................

1.6 आधारभूत सुविधायें (संक्षिप्त में) जो उपलब्ध है –

- टेलीफोन
- सड़क से जुड़ाव– (बाजार एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)
- शैक्षणिक संस्थायें
- स्वास्थ्य संस्थायें
- बस सेवायें

1.7 गांव में ऐसे परिवारो की संख्या जिन्हें दो वक्त का भोजन नहीं मिलता ?

- दिन में मुश्किल से एक बार ....
- दिन में एक बार ....
- दिन में दो बार लेकिन कभी–कभी ....

2. लक्ष्य एवं उद्देश्य (Goals and Objectives) वर्ष 2007–2012

2.1 शिक्षा

- 6–14 आयु वर्ग के शत–प्रतिशत बच्चों का नामांकन।
- सीनियर सैकण्डरी उतीर्ण करने वाले 20 प्रतिशत बच्चें उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेंगे।
- सीनियर सैकण्डरी उतीर्ण करने वाले बच्चें जो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं लेते ऐसे 50 प्रतिशत बच्चें व्यावसायिक शिक्षा हेतु आई.टी.आई. व पोलोटेक्निक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेंगे।
- ग्राम की साक्षरता दर 90 प्रतिशत होगी।

2.2 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

- अशोधित जन्म दर – 20
- शिशु मृत्यु दर – 40
- 0–1 आयु वर्ग के शत–प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण।
- सभी क्षय रोगियों का पंजीयन कर DOT's के तहत इलाज किया जावेगा।
- शत–प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व, प्रसवोत्तर एवं पूरक पोषाहार सेवायें उपलब्ध होगी।
- 0–3 व 3–6 वर्ष के सभी बच्चों को पूरक पोषाहार से लाभांवित करना व कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा।
- 90 प्रतिशत घरो में शौचालय सुविधा उपलब्ध होगी।
- गांव में पानी निकास की पुख्ता व्यवस्था एवं गलियां पक्की निर्मित होगी।
- सुरक्षित (safe) पेयजल उपलब्ध होगा।

2.3 पर्यावरण

- वृक्षारोपण एवं उनकी देखभाल (वृक्षारोपण की संख्या ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित की जावेगी)
- चारा बैंक के लिए चारागाह भूमि को विकसित किया जावेगा तथा खुले चारागाह क्रमवार बन्द होंगे।
- वर्षा के पानी संग्रहण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर्स बनाना।

2.4 सभी बी.पी.एल. परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाया जायेगा

- वे सभी व्यक्ति जिनके पास छत उपलब्ध नही है के पास पक्के मकान होंगे।
- 90 प्रतिशत परिवार जो कच्चे मकानो में रह रहे है के पास पक्के मकान होंगे।

2.5

- योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत कृषि एवं दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
- 50 प्रतिशत किसान कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का उपयोग कर करेंगे।
- प्रत्येक ग्राम की प्रत्येक फसल में बेहतर बीज के उपयोग के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

2.6 गांव सम्पर्क (Village Connectivity)

- गांवों को सड़को से जोडना–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2001 की जनगणनानुसार 500 से अधिक आबादी के सभी गांवों व रेगिस्तानी व जन–जाति क्षेत्रों में 250 व इससे अधिक आबादी के समस्त गांवों को पक्की सड़को से जोड़ना।
- मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों से जुड़े गांवों एवं डब्ल्यू.बी.एम. मिसिंग सड़को को डामर की सड़कों में क्रमोन्नत करना।
- धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को सड़कों से जोड़ना–पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थानों को डामर की सड़कों से जोड़ना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना– इस योजना में सड़क कार्यक्रम के तहत 250 से 500 तक की आबादी के गांवों को ग्रेवल सड़कें (सीडी वर्क सहित) से जोड़ने के लिए संबंधित जिलों में प्रस्तावित किया जाना है।
- सड़को का नवीनीकरण – राज्य उच्च मार्गों को 6 से 8 वर्ष, मुख्य जिला यड़कों को 8–10 वर्ष व अन्य जिलों व ग्रामीण सड़को को 12 वर्ष में नवीनीकरण किये जाने के मापदण्ड निर्धारित किये हुए है। जिन सड़को के निर्माण/नवीनीकरण किये हुए निर्धारित वर्ष पूर्ण हो गये है या सड़को पर यातायात की स्थिति को देखते हुए नवीनीकरण किया जाना आवश्यक हो गया है ऐसी सड़कों का नवीनीकरण किया जाना।
- सीसी सड़को का निर्माण – आबादी क्षेत्र से गुजरने वाले राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कें पर सीमेन्ट कंकरीट/पत्थर खरन्जे का निर्माण।
- मिसिंग सीडी कार्य – राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों पर मिसिंग सीडी का कार्य।

2.7 खाद्य सुरक्षा

- ऐसे प्रत्येक निर्धन परिवार, जिन्हें दो वक्त की रोटी का संकट है, की खाघ सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विकास कार्यों पर उन्हें प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर व सामाजिक एवं आर्थिक विकास की अन्य राजकीय योजनाओं जिसके तहत वे पात्र हैं, का लाभ पंहुचाया जाकर उनकी शत–प्रतिशत खाध सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी।

3. विकास की वर्ष 2012–2017 तक **Sectoral** आवश्यकताऐं (निर्धारित प्रपत्रों में)

क्र.सं.	सेक्टर का नाम	प्रपत्र	विवरण	प्रपत्र भरने वाले का पदनाम (पंचायत स्तर)
1	2	3	4	5
1.	पेयजल	प्रपत्र 1 भाग i	पेयजल सम्बन्धी ग्राम की सूचना	ग्राम सेवक
2.	सड़क व पुलिया	प्रपत्र 2 भाग i	सड़क व पुलिया की ग्रामवार सूचना	ग्राम सेवक
3.	ऊर्जा	प्रपत्र 3 भाग i	ग्रामवार विद्युत सम्बन्धी सूचना	ग्राम सेवक
4.	शिक्षा	प्रपत्र 4 भाग i	ग्रामवार स्कूलों का विवरण	ग्राम सेवक
		प्रपत्र 4 भाग ii	विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का आकलन, स्कूलवार वित्तीय प्रस्ताव	प्रधानाध्यापक
5.	स्वास्थ्य	प्रपत्र 5 भाग i	ग्रामवार चिकित्सा सम्बन्धी सूचना	ग्राम सेवक
6.	पशुपालन	प्रपत्र 6 भाग i	ग्रामवार पशुओं की संख्या एवं पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की सूचना	ग्राम सेवक
7.	जल सग्रंहण कार्य	प्रपत्र 7 भाग i (A+B)	ग्रामवार वर्षा आधारित सामुदायिक जल स्रोतों की सूचना	ग्राम सेवक
8.	वन विकास	प्रपत्र 8 भाग i	ग्राम वन की स्थापना	ग्राम सेवक
9.	आवास	प्रपत्र 9 भाग i	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को इन्द्रा आवास व भू–खण्ड आवंटन	ग्राम सेवक
10.	स्वच्छता	प्रपत्र 10 भाग i	नाली निर्माण, गन्दे पानी की निकासी, शौचालय आदि की ग्रामवार सूचना	ग्राम सेवक
11.	अन्य विकास सम्बन्धी मांगे	प्रपत्र 11	ग्राम सभा में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विकास संबंधी मांगे	ग्राम सेवक
12.	पोषाहार	प्रपत्र 12 भाग i	आंगन बाड़ी केन्द्र पर लाभान्वितों की संख्या एवं ग्राम सभा के प्रस्तावों की सूचना	ग्राम सेवक
13.	कृषि	प्रपत्र 13 भाग I	आधुनिक तकनीक से कृषि कार्यां के सम्बन्ध में जानकारी एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव	ग्राम सेवक / कृषि पर्यवक्षक

निर्धारित प्रपत्र संख्या 1 से 13 संलग्न है।

4. सेक्टरवार भौतिक लक्ष्य व वित्तीय आवश्यकतायें (2012–2017)

विभागीय भौतिक लक्ष्य निर्धारत किये जावेंगे और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये वित्तीय आवश्यकताओं का उल्लेख करेंगे।

प्रपत्र–1
भाग–1
(ग्राम सेवक द्वारा भरा जावेगा)

पेयजल

1. गांव का नाम

1.1 गॉव की आबादी (2011) जनगणना अनुसार) ....

1.2 पशुओं की संख्या ....

2. पेयजल के वर्तमान स्त्रोंत ....

2.1 हैंड पंप (संख्या) ....

2.2 हैंड पंप जो सूख गए है ....

2.3 परम्परागत जल स्त्रोंत

	संख्या		संख्या
सामुदायिक कुंए	....	काम में लिए जा रहे	....
बावड़ी	....	काम में लिए जा रहे	....
जलकुण्ड / टांका / पोकर / तालाब इत्यादि	....	काम में लिए जा रहे	....
अन्य	....	काम में लिए जा रहे	....

2.4 राजकीय जल आपूर्ति योजना हॉ / नहीं

(i) यदि हॉ, तो क्या नियमित व पर्याप्त जलापूर्ति हैं ? हॉ / नहीं

(ii) क्या योजना बन्द पड़ी हैं ? हॉ / नहीं

यदि हॉ तो कब से ....

(iii) क्या आंशिक रूप से आवश्यकता की पूर्ति करती है ? हॉ / नहीं

2.5 ट्यूबवेल (संख्या) .... चालू ....

2.6 पंचायत द्वारा संचालित जल आपूर्ति योजना हॉ / नहीं

यदि हॉ, तो क्या नियमत पेयजल मिलता है ? हॉ / नहीं

2.7 स्व जलधारा योजना हैं / नहीं

2.8 अन्य

2.9 (i) टेंकर द्वारा जल आपूर्ति

(ii) अन्य

3. (i) क्या गॉव में GLR या पानी की टंकी का निर्माण किया गया हैं ? हॉ/नहीं

(ii) यदि हॉ तो क्या यह उपयोग में आ रहें है ? हॉ/नहीं

(iii) यदि नहीं, तो कब से अनुपयोगी पड़े हैं ?.......................... (वर्ष अंकित करें)

4. यदि पेयजल गॉव में उपलब्ध नहीं, तो पेयजल का स्त्रोंत कितनी दूर है ? ....कि. मी.

5. पेयजल की गुणवत्त्ता

(i) क्या पानी मीठा है ? हॉ/नहीं

(ii) क्या फलोराईड युक्त हैं ? हॉ/नहीं

6. अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्ती में पेयजल स्त्रोंत

(विवरण दें) राजकीय संस्थाओं में पेयजल सुविधा की उपलब्धता

7. (i) स्कूल में पेयजल स्त्रोंत है/नहीं

(ii) उप स्वास्थ्य केन्द्र (iii) ग्राम सेवक भवन/पंचायत भवन इत्यादि

8. यदि पेयजल की आपूर्ति अपर्याप्त है और पानी खारा व फलोराईड युक्त है तो समस्या के समाधान हेतु ग्रामसभा की सिफारिशें :

क्र. सं.	मौजूदा पेयजल स्त्रोंत	संख्या	अतिरिक्त मांग (स्थान का नाम लिखे)	संख्या	अनुमानित व्यय अनावर्तिक/आवर्तिक				
					2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	हेंड पम्प								
2.	ट्यूबवैल								
3.	परम्परागत स्त्रोंत (i) कूॅए (ii) बावड़ी (iii) तालाब (iv) टांका (v) कुंड		परम्परागत स्त्रोंतो का पुनर्द्धार (i) (ii) (iii) (iv)						
4.	पाईप जल आपूर्ति								
5.	वर्षा जल एकत्रित कर पेयजल आपूर्ति (Rain Water Harvesting)								
6	टैंकर द्वारा जलापूर्ति								

9. उपरोक्त कार्यों (कॉलम 8) में से किन कार्यों को पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से पूरा किया जा सकता है ?

क्र. सं.	कार्य का नाम	योजना का नाम जिसमें व्यय किया जाएगा	अनुमानित राशि जो व्यय की जाएगी
1		(TFC, DI, BRFG, UNTIED FUND, SFC, SGRY, NREGA, Own income)	
2			
3			
4		कुल	

प्रपत्र–2
भाग–1
(ग्राम सेवक द्वारा भरा जावेगा)

सड़के व पुलिया

क्रम संख्या	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	2011 की जनगणनानुसार ग्राम की आबादी	◆ यदि ग्राम पक्की सड़क से नहीं जुड़ा तो ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित 'सड़क' (i) सड़क का नाम (कहॉ से कहॉतक) (ii) लम्बाई कि.मी. (iii) मुख्य सड़क का नाम जिससे गॉव जुडेगा। प्रत्येक योजना के लिए उक्तानुसार पृथक से सूचना दर्शायी जावेगी।				क्या किसी पुलिया/रपट के निर्माण की मांग ग्राम सभा ने की हैं ? विवरण दें।
				प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	पर्यटन एवं धार्मिक सड़क	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

◆ कॉलम 5 से 8 तक उन्हीं सड़को को शामिल किया जाना है जो निर्धारित योजना में आती हैं।

प्रपत्र–3
भाग–1
(ग्राम सेवक द्वारा भरा जायेगा)

ऊर्जा

क्रम सं.	पंचायत का नाम	गांव का नाम	2011 की जनगणनानुसार आबादी	क्या ग्राम विद्युतीकृत है? हां/नही	ग्राम सभा का प्रस्ताव	ग्राम में हस्त शिल्प, कुटीर उद्योग एवं व्यवसायिक कार्यो के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध हैं या नही	ग्राम सभा का प्रस्ताव					वैकल्पिक ऊर्जा के प्रस्तुत गतिविधियॉ
					ग्राम विद्युतीकरण		ट्रांसफारमर लगाना	कृषि कनेक्सन(संख्या) जिसकी मांग है।	धरों में कनेक्शन हेतु नई लाईन डालना	अनुसूचित जाति/जनजाति मोहल्ले में लाईन डालना	गैर कृषि कनेक्शन (लम्बित प्रार्थना पत्र)	वैकल्पिक ऊर्जा (सोर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं बायोफूल ऊर्जा सम्बंधी कार्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(6) क्या ग्राम में हस्त शिल्प कुटीर उद्योग एवं व्यवसायिक कार्यो के लिये पर्याप्त बिजली उपलब्ध हैं या नही।

प्रपत्र–4

भाग–1
(ग्राम सेवक द्वारा भरा जावेगा)

शिक्षा

नाम पंचायत .... ग्राम का नाम ....

** G = Government, P = Private

क्र. सं.	गांव का नाम	गांव की जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	स्कूल में अध्यनरत बच्चों की संख्या		विघालय की गाांव से दूरी								ग्राम सभा द्वारा अतिरिक्त मांग						
			लड़के	लड़किया	प्राइमरी स्कूल		उच्च प्राथमिक स्कूल		माध्यमिक स्कूल		उच्च माध्यमिक स्कूल		प्राइमरी स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	माध्यमिक स्कूल	उच्च माध्यमिक स्कूल	उच्च माध्यमिक स्कूल (नए विषय)	महिला विद्यालय	अतिरिक्त अध्यापक (संख्या)
					G	P	G	P	G	P	G	P	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12	13	14	15	16

नोटः– जनगणना 2011 के आंकड़ें उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जनसंख्या (जनगणना 2001) के अनुसार दर्शाई जावें।

प्रपत्र–4
भाग–2
(संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भरा जावेगा)

मौजूदा विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी का आंकलन (विभागीय मापदण्ड अनुसार

नाम पंचायत .... ग्राम का नाम ....

क्र. सं.	गांव का नाम	विद्यालय का नाम	अध्यनरत बच्चों की संख्या	क्लास रूम			चारदीवारी	फर्नीचर/ टाट, पट्टी, बैंच व डेस्क इत्यादि की मांग	प्रयोगशाला साज सामान	टायलेट लड़के/ लड़कियां	भवन मरम्मत (यदि भवन जीणक्षीण स्थिति में हो)	नए विषय (ग्राम सभा की मांग अनुसार)	पेयजल व्यवस्था यदि हैंड पम्प नहीं लग सकता हो तो वर्षा के पानी को एकत्रित कर कुण्ड/टांका निर्माण का प्रस्ताव करें	कम्प्यूटर/ कम्प्यूटर कक्ष	खेल मैदान उपलब्ध हैं अथवा नही
				चाहिए (मापदण्ड)	है	अतिरिक्त मांग	प्राइमरी स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल							
1	2		3	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14

मिड डे मील हेतु स्टोर व किचन शैड	अतिरिक्त अध्यापक (सिर्फ मौजूद स्कूलों में)	आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धनराशि की अनुमानित आवश्यकता (लाखो में)										
		कॉलम 5	कॉलम 6	कॉलम 7	कॉलम 8	कॉलम 9	कॉलम 10	कॉलम 11	कॉलम 12	कॉलम 13	कॉलम 14	कुल 15
15	16	17										

प्रपत्र–5

भाग–1

(ग्राम सेवक द्वारा भरा जाएगा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

क. सं.	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	2011 अनुसार जनसंख्या	स्वास्थ्य सुविधाओं से गांव की दूरी (Km में)					क्या कोई निजी चिकित्सक गांव में उपलब्ध है ?	गांव में क्या प्रशिक्षित दाई/आशा ? हॉ/नहीं	बीपीएल परिवारों के निःशुल्क दवाइ की सुविधा उपलब्ध हैं या नही	ग्राम सभा के प्रस्ताव								
				उप केन्द्र	PHC		CHC		आयुर्वेद औषधालय	जिला अस्पताल		चिकित्सा रेफरल सुविधा उपलब्ध हैं अथवा नही	नए उप केन्द्र की स्थापना	नई PHC की स्थापना	प्रशिक्षित दाई/आशा	उप केन्द्र का भवन निर्माण	ए एन एम के आवास का निर्माण	पीएचसी भवन का निर्माण/विस्तार	पीएचसी चिकित्सालय व स्टॉफ के रिहायशी भवन का निर्माण	अन्य कोई हो तो विवरण दें
												(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
1	2	3	4	5					6	7	8	9								

नोटः– जनगणना 2011 के आंकड़ें उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जनसंख्या (जनगणना 2001) के अनुसार दर्शाई जावें।

प्रपत्र–6 भाग–1
(ग्राम सेवक द्वारा भरा जावेगा)

पशुपालन

क्र. सं.	पंचायत का नाम	गॉव का नाम	पशुओं की अनुमानित संख्या							उप स्वास्थ्य केन्द्र (veteniray Sub Centre) से गॉव की दूरी	पशु चिकित्सालय से दूरी	ग्राम सभा की मांग	
			छोटे		बड़े		कुल					पशु उप केन्द्र की स्थापना (i)	पशु चिकित्सा केन्द्र की स्थापना (ii)
			दुधारू	अन्य	दुधारू	अन्य	दुधारू	अन्य	कुल				
1	2	3	4							5	6	7	

पशु चिकित्सा ईकाई (iii)	पशु स्वास्थ्य कैंप का आयोजन (iv)	कृत्रिम गर्भाधान सेवाऐं (v)	चारागाह विकास		यदि कॉलम 8 (ii) हॉ, तो कुल अनुमानित व्यय (6000 रूपये प्रति हेक्टेयर)	पंचायत NREGA, SGRY, SFC में कितनी धनराशि व्यय कर सकती है ?	शेष धन राशि जो चाहिए (9–10)
			चारागाह भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (i)	चारागाह में खुली चराई बन्द कर cut & carry पद्धति लागू करने हेतु क्या ग्राम सभा रजामन्द है ? (हॉ / नहीं) (ii)			
			8		9	10	11

प्रपत्र–7

भाग–1 (A)

(ग्राम सेवक द्वारा भरा जावेगा)

वर्षाजल संग्रहण कार्यों का निर्माण (सार्वजनिक स्त्रोत)

(Rainwater Harvesting Structures)

क्र. सं.	पंचायत का नाम	गॉव का नाम	गांव में मौजूदा वर्षा आधारित सामुदायिक जल स्त्रोंत (संख्या)						ग्राम सभा की राय अनुसार कॉलम 4 में कितने स्त्रोत ऐसे है जिन्हें गहरा/सफाई करने की आवश्यकता है (संख्या) (कार्यो की सूची संलग्न करें)												कुल	
			तालाब (i)	बावड़ी/ कुंआ (ii)	पोकर (iii)	टांके (iv)	कुण्ड (v)	एनीकट (vi)	(i)		(ii)		(iii)		(iv)		(v)		(vi)			
									संख्या	अनुमानित धन राशि	संख्या	अनुमानित धन राशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि
1	2	3	4						5												6	

नए सामुदायिक कार्य व अनुमानित लागत (कार्यों की सूची संलग्न करें)													कॉलम 9 में से कितनी धनराशि पचांयत योजनाओं व स्वयं की आय से व्यय कर सकती है ?	शेष धनराशि जो चाहिए (9–10)
तालाब/ पोकर पौंड इत्यादि		बावड़ी/ कुंआ		टांका/ कुंड		एनीकट/ टेंक डेम इत्यादि		अन्य (विवरण देवें)		कुल		कुल लागत ———— (कालॅम 6+8)		
संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि	संख्या	अनुमानित धनराशि			
7										8		9	10	11

प्रपत्र–7
भाग–1 (B)
(ग्राम सेवक द्वारा भरा जावेगा)

वर्षा जल संग्रहण कार्यो का निर्माण

(निजी स्त्रोत)

यदि राज्य सरकार 50% अनुदान दें तो कितने लोग निजी भूमि पर वर्षा आधारित स्त्रोंत निर्माण हेतु सहमत है ? (संख्या)						कॉलम 12 में से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति व जनजाति के है ?	कॉलम 12 के कार्यों पर कुल अनुमानित व्यय	50 प्रतिशत अनुदान (कॉलम 13 की संख्या को छोड़कर)	कॉलम 13 की 100 प्रतिशत Subsidy पर खर्चा	कुल धन राशि जो चाहिए (15+ 16)	कॉलम संख्या 17 हेतु NREGS व SGRY में उपलब्ध राशि	शेष जो चाहिए (17–18)
फार्म पौंड (Pond) (i)	टांका (ii)	कुण्ड (iii)	एनीकट (iv)	अन्य (v)	कुल							
12						13	14	15	16	17	18	19

प्रपत्र–8
भाग–1
(ग्राम सेवक द्वारा भरा जावेगा)

ग्राम वन की स्थापना

क्रम सं0	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	क्या ग्राम सभा ग्राम वन की स्थापना का विचार रखती है ? हॉ / नहीं	यदि हॉ तो कितनी भूमि उपलब्ध है ? (हेक्टेयर)	वन विकास हेतु अनुमानित लागत	SGRY व NREGS में कितनी धनराशि इस कार्य हेतु उपलब्ध हो सकती है ?	शेष राशि जो चाहिए (6–7)
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–9
भाग–1
(ग्राम सेवक द्वारा भरा जावेगा)

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इन्दिरा आवास व भूखण्ड आंवटन

क्रम संख्या	पंचायत का नाम	गांव का नाम	बी.पी.एल. परिवारों की संख्या	बी.पी.एल. चयनित परिवारों के पास मकान की स्थिति				यदि भूखण्ड हेतु पंचायत के पास भूमि उपलब्ध नही तो क्या भूमि अधिग्रहण करनी होगी, यदि हाँ तो अनुमानित लागत	IAY मकानों हेतु कुल धनराशि की आवश्यकता है	कुल राशि जो चाहिए (9+10)
				मकान नहीं है		कच्चा	पक्का			
				भूखण्ड है	भूखण्ड नहीं					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र–10
भाग–1
(ग्राम सेवक द्वारा भरा जावेगा)

Sanitation (स्वच्छता)

क्रम सं.	ग्राम पंचायत का नाम	गांव का नाम	नाली निर्माण (अनुमानित लंबाई)	गंदे पानी की निकासी हेतु पोकर/टेंक की खुदाई	गलियां पक्की करना (अनुमानित लंबाई)	धरों में Latrine निर्माण (संख्या)		स्कूल में Latrine निर्माण (संख्या)	सामुदायिक Latrine निर्माण (संख्या)	पेयजल स्त्रोत जैसे GLR हैंड पंप कुंआ इत्यादि के आस पास पानी एकत्रित न होने देना व इनकी प्रभावी निकासी की व्यवस्था	धुयें रहित चूल्हे का निर्माण (संख्या)	ग्राम व धरों के कूड़े को गांव के बाहर Compost Pit में डालना	अन्य
						APL	BPL						
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13

प्रपत्र–11

ग्राम सभा में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विकास संबधी मांगे

Other Felt needs of Socio Economic Development

क्र.स.	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	अन्य मांगे जिनका विवरण पूर्व के प्रपत्रों में नही आया है	अनुमानित धनराशि जो चाहिये	मांग की प्राथमिकता व औचित्य पर विकास अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

नोटः— कॉलम 1 से 5 की पूर्ती ग्राम सेवक द्वारा की जावेगी एवं कॉलम 4 व 5 के क्रम में टिप्पणी विकास अधिकारी द्वारा कॉलम 6 में की जावेगी।

पोषाहार

प्रपत्र–12

भाग–1

(ग्राम सेवक द्वारा भरा जावेगा)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	2001 की जनगणनानुसार ग्राम की आबादी	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्र पर लाभान्वितो की संख्या						
					कुल लाभान्वित सं0	बच्चे					
						लड़के			लड़कियां		
						SC	ST	OTHER	SC	ST	OTHER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

				ग्राम सभा का प्रस्ताव					
महिलाऐं		किशोरी बालिकाऐं	आंगनबाड़ी केन्द्र से मुख्य सड़क की दूरी (कि0मी0)	नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की आवश्यकता	वर्तमान में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की आवश्यकता	चार दिवारी निर्माण	शौचालय निर्माण	पेयजल सुविधा	आंगनबाड़ी केन्द्र को मुख्य सड़क से जोड़ना
गर्भवती	धात्री								
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

प्रपत्र–13

भाग–1

(ग्राम सेवक / कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भरा जावेगा)

कृषि

नाम पंचायत ....

क्र. सं.	गाँव का नाम	फसलों का बोया जानेवाला क्षेत्रफल				उन्नत किस्म के बीजों द्वारा बोया जानेवाला क्षेत्रफल				उत्पादकता प्रति हैक्टेयर (क्विंटलमें)	रासायनिक खाद का उपयोग कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ग्राम स्तर पर उन्नत बीज के उत्पादन की स्थिति (क्विंटल में)	उत्पादकों के विपणन के लिये मण्डी की दूरी (कि.मी. में)	फसल बीमा सुविधा उपलब्ध हैं या नही	फसल हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध हैं या नही
		रबी की फसलें	हैक्टेयर में	खरीफ की फसलें	हैक्टेयर में	रबी की फसलें	हैक्टेयर	खरीफ की फसल	हैक्टेयर में	खरीफ की फसलें	हैक्टेयर में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1. गेहूँ		1. बाजरा		1. गेहूँ				1. बाजरा		1. सरसों			
		2.		2.		2.				2.		2. बाजरा			
		3.		3.		3.				3.		3.			
		4.		4.		4.				4.		4.			

उत्पादों के विपणन की बाजारी भावों की जानकारी है या नहीं	कृषि उत्पाद की नवीनतम तकनीक की जानकारी उपलब्ध है या नहीं, यदि हाँ तो स्रोत	यदि हाँ, तो कृषकों द्वारा नवीनतम तकनीक को उपयोग में लेने का प्रतिशत	रबी की फसल में स्प्रिंकलर द्वारा सिंचित क्षेत्र (हेक्टयर में)	ड्रिप द्वारा सिंचित क्षेत्र (हेक्टयर में)	किसानों की संख्या, जो कम्पोस्ट / वर्मी कम्पोस्ट / नेडेप कम्पोस्ट उपयोग में लेते हैं	**ग्राम सभा की माँग**						कालॅम सं. 21से 26 में गई माँग की सुविधाओं की स्थापना पर अनुमानित व्यय
						ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की आवश्यकता	स्प्रिंकलर की आवश्यकता (संख्या में)	ड्रिप सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता	वर्मी कम्पोस्ट बनाने की मांग (संख्या में)	उन्नत बीज व कृषि उपकरणों की आवश्यकता	मण्डी से सम्पर्क सड़क निर्माण	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29